संख्या–416/XVIII–(2)/F/12–16(01)/2007 T.C.

(166)

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादून:दिनांक: 27 नवम्बर, 2012

विषयः– राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त अवशेष 147 ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण कार्य कराये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड ग्राम भोपालपानी, पो0ओ0 बड़ासी, रायपुर, थानों रोड़, देहरादून के पत्र संख्या–427/उ0नि0तक0/आ0प्र0/2012–13, दिनांक 20.6.2012 के क्रम में आपके पत्र संख्या–242/DMMC/XIV-287/(2008)/2011, दिनांक 22.6.2012 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के प्राकृतिक आपदाओं से संकटग्रस्त अवशेष 147 ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड से कराये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, श्रमिकों के वेतन/पारिश्रमिक, जीप/वाहन, वाहन के ईंधन व अन्य मरम्मत आदि कार्यों हेतु ₹ 2,74,250/– प्रति माह की दर से संभावित पॉच माह हेतु कुल ₹ 13,71,750/– (₹ तेरह लाख, इकहत्तर हजार, सात सौ पचास मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

2– अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त आहरण कर प्रभावित ग्रामों के सर्वेक्षण का आंकलन करते हुए प्रतिमाह की दर से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी0एम0एम0सी0 का उत्तरदायित्व होगा।

4– स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों को प्रमुख सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर ही कोषागार से आहरण किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा डी.एम. एम.सी. द्वारा रखा जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–102–विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध–0103–राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि–48 अन्तर्लेखा संक्रमण मद के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनुभाग–5 के अ.शा. पत्र संख्या–56 P/XXVII (5)/2012, दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के माध्यम से प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव

क्रमशः.....2

संख्या–416(1)/XVIII-(2)/F/12-16(01)/2007 T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव–मा0 मंत्री, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– कोषाधिकारी, देहरादून।
7– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म हकाई उद्योग निदेशालय, उत्तरासखण्ड ग्राम भोपालपानी, पो0ओ0 बड़ासी, रायपुर, थानों रोड़, देहरादून।
8– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
12–धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
13–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव